सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पत्र (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 13 सितम्बर, 1982

विषय :- भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवकों के भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाकर अन्ततः वहीं संविलीन कर लिये जाने की दशा में इस शासन के अधीन प्रदत्त समस्त अर्ह सेवा को पारस्परिक समझौते के आधार पर भारत सरकार के अधीन सिविल पेंशन के लिये गिना जाता है, और उस पर पड़ने वाले पेंशनीय भार का विभाजन संबंधित सरकार द्वारा सेवा के अनुपात में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी सेवा के अनुपात में पेंशनीय भार वहन करने की व्यवस्था उपलब्ध है जो इस शासन के अधीन स्थायी रहे हों और भारत सरकार के अधीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर स्वेच्छया चले जाने के बाद वहीं स्थायी हो जाने और उनके स्थायीकरण की तिथि तक इस शासन के अधीन उनका धारणाधिकार बनाये रखा गया हो, किन्तु स्वेच्छया भारत सरकार के अधीन नियुक्ति प्राप्त कर लेने वाले अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में अभी तक दोनों सरकारों के मध्य कोई पारस्परिक समझौता नहीं रहा है।

2-उपरोक्त कोटि के अस्थायी कर्मचारियों के मामलों में उनके द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवा का लाभ दूसरी सरकार के अधीन पेंशन हेतु किये जाने का प्रश्न, गत कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 3 (20) पेंशन (क)/79, दिनांक 31-3-1982 में राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करके पारस्परिक समझौते के आधार पर अस्थायी सेवा को गिने जाने तथा सेवा के अनुपात में पेंशनीय भार संबंधित सरकार द्वारा वहन किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन की गई अस्थायी सेवा के संबंध में आनुपातिक पेंशन का दायित्व संबंधित सरकारों द्वारा उस सीमा तक वहन किया जायेगा, जिस सीमा तक कि ऐसी सेवा संबंधित सरकारों के नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये अर्हक होती, ताकि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के अधीन अपनी अर्हक सेवा की गणना किये जाने की प्रसुविधा उस राज्य सरकार द्वारा दी जा सके जहां से वे अन्ततः सेवानिवृत्त होते हैं। किन्तु सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन की गई अस्थायी सेवा के लिए कोई उपादान प्राप्त किया गया हो तो उसे संबंधित सरकार को वापस करना होगा। उक्त शासनादेश में अस्थायी सेवा को लाभ दिये जाने का दावा करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा गया है :-

(1) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सेवा से छंटनी किये जाने पर छंटनी की तारीख तथा नई नियुक्ति की तारीख के बीच व्यवधान अथवा बिना व्यवधान के राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वेच्छा से नौकरी प्राप्त कर ली हो,

(2) वे कर्मचारी, जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए उचित माध्यम से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिये आवेदन करते हैं,

(3) वे कर्मचारी, जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति के बिना सीधे ही राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिये आवेदन करते हैं तथा राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अधीन नई नियुक्तियों का कार्य ग्रहण करने के लिये अपने पिछले पदों से त्याग-पत्र दे देते हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त सुविधा उपर्युक्त (1) तथा (2) वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को दी गई है तथा यह भी व्यवस्था है कि जहाँ वर्ग (2) के किसी कर्मचारी को नई नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये, उसके द्वारा धारित अस्थायी पद से त्याग-पत्र देना आवश्यक हो तो वहाँ त्याग-पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि ऐसा त्याग-पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों तथा/अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिया गया था। इस प्रमाण-पत्र का रिकार्ड उचित प्रमाणीकरण के अधीन उसकी सेवा पंजी में भी किया जायेगा ताकि सेवानिवृत्ति के समय उक्त सुविधा दिये जाने में कठिनाई न हो। वर्ग (3) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी स्पष्टतः पेंशन के लिये अपनी पिछली सेवा की गणना कराने के हकदार नहीं होंगे।

3—भारत सरकार द्वारा की गई उपरोक्त व्यवस्था इस शासन के अधीन भी भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की तिथि दिनांक 31-3-1982 को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी पर यथावत् लागू मानी जायेगी।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव।

संख्या सा-3-1239(1)/दस-917-79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3— विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4— सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव।

प्रमाणित

(आर0 बी0 सिंह)
[illegible]।

संख्या सा–3–882/दस–910–84

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 9 मई, 1985

विषय :– भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1239/दस–917–79, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में यह आदेश जारी किये गये थे कि यदि राज्य सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के अधीन सेवा ग्रहण कर लेता है और अन्ततः वहीं स्थायी हो जाता है तो उसके द्वारा इस शासन के अधीन अर्पित अस्थाई सेवा का लाभ उसकी पेंशन हेतु भारत सरकार के अधीन दिया जायेगा बशर्ते कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गई हो। यदि किसी प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने अस्थाई पद से त्याग–पत्र देना पड़ा हो और त्याग–पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र दे दिया गया हो कि ऐसा त्याग–पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों से अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिया गया था तो ऐसे मामलों में भी त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा सकेगा। इसके विपरीत स्थायी कर्मचारियों के मामलों में समान परिस्थितियों में अपने पद से त्याग–पत्र देकर भारत सरकार के अधीन नई नियुक्ति ग्रहण कर लेने पर त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है।

2–इस सम्बन्ध में भारत सरकार का परामर्श भी प्राप्त किया गया है और तदनुसार शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी कर्मचारी के समान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समस्त परिस्थितियों में दिया जायेगा।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–728/दस–98–901–98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1998

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करे या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/ सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम/निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जाये।

2–शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम/ निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं संबंधित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम/निगम/सरकार में हो गया हो, तो यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हो, तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दानों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार द्वारा किया जायेगा जहां से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वही पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार/उपक्रम/निगम में लागू हों–

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहें राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल

तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उस समय प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायेगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए विकल्प दे दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर ले और सरकार में नये सिरे से नौकारी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3–राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1986 से प्रभावी माने जायेंगे।

आज्ञा से,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त।

संख्या सा–3–1984/दस–2001–901–98

प्रेषक,

मनजोत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहाँ पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी हैं। परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ–जहाँ "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए।

2–"स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के संविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3–शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–98–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह
सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3– 1118 /दस–2011–301(09)/2003टी.सी.

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2011

विषयः– अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/ दस–2005 –301(9)/ 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण अधोलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय–

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने,

जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/ पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकासी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक–01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1118(1)/दस–2011, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, गा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।